ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा, विकास खण्ड गोपालपुर ,जिला मण्डी के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.21 से 31.03.23

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति ज्ञानो देवी	23.01.2021 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री लेख राज	31.03.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा के लेखों अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	2.43

2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	76.99
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	01.54
5	8(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.60
6	8(ख)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.07
7	9(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	01.39
8	9(ग)	अधिक मानदेय भुगतान बारे	0.03
9	9(घ)	14 वां वित्तायोग में प्राप्त की राशि को पंचायत निधि में हस्तांतरित करने बारे।	01.19

भाग- दो

2 **(क) वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30-03-2024 से 05-04-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2021-22	**06/21**	**07/21**
2022-23	**09/22**	**08/22**

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-196 दिनांक 05.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान:- ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की स्व: स्त्रौत की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति(₹)**	**योग(₹)**	**व्यय(₹)**	**अन्तिम शेष(₹)**
2021-22	2943821.55	1120938.4	4064759.95	984686	3080073.95
2022-23	3080073.95	1036407	4116480.95	1014988	3101492.95

दिनांक 31.03.23 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **3101492.95**

दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank Name	**Account No.**	**Name of head**	**Closing balance as on 31.03.2023 (₹)**
H.P State cooperative bank Baldwada	30210100001	Own source & other	2891441.98
H.P State cooperative bank Baldwada	30210110690	IWMP	0
H.P State cooperative bank Baldwada	30210110689	IWMP	6842
		Total	**2898283.98**

Bank Reconcilation as on 31-03-2023	
Balance as per cash book	**3101492.95**
Balance as per Pass book	**2898283.98**
Net Difference	**203208.97**

(ii)14 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत बल्द्राड़ा के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 14 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	2445860.45	41626.44	2487486.89	1186568.34	1300918.55
2022-23	1300918.55	52076	1352994.55	1083520.34	269474.21

Bank Reconcilation as on 31 03-23		
Balance as per cash book	269474.21	
less: amount of Rs 119233 transfer to a/c no. 30210100001 (own source & other) on 15.06.2021 taken in pass book but not taken in cash book	119233	150241.21
Balance as per Pass book		**110522.25**
Net Difference		**39718.96**

(iii)15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत बल्द्राड़ा के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	664244	1765642	2429886	0	2429886
2022-23	2429886	3124359	5554245	1226430.39	4327814.61

Bank Reconcilation as on 31 03-23			
Balance as per cash book	4327814.61		
add: income from grant of Rs 501258 received on 03.06.2021 taken in pass book but not taken in cash book	501258		
less:-income from grant of Rs 299718 received on 06.10.2021 taken in cash book but not taken in pass book	299718		
add:- interst of Rs 25236 taken in pass book on dated 30.09.2021, but not taken in cash book,interst of Rs 37752 taken in pass book on dated 01.04.22, but not taken in cash book,interst of Rs 47368 taken in pass book on dated 30.09.2022, but not taken in cash book	110356		**4639710.61**
Balance as per Pass book			**4639710.61**
Net Difference			**nill**

(iii) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	0	2231085	0	2231085	2231085	0
2022-23	0	1910596	0	1910596	1910596	0

4.1. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹2.43 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹242927.93** की राशि का अन्तर पाया गया। अत: मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये ।

5. **(क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹76.99 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव, ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.23 तक अनुदान ₹7698781.77 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i), 4(ii), 4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना :-

ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2021** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. **(क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹1.54 लाख की वसूली न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम

32 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत भांबला के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (घ)** अनुसार **₹154000** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें , संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बन्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मंडी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बन्धित वाउचरों/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बन्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल के तहद की गई आदायगी को तकनिकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनिकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था । अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें , संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024- 195 दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में

सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अंतगर्त विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया था । जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल लैपटाप कम्प्युटर अलमिरा, कुर्सियाँ ही दर्ज की गयी थी तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे । इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे हीटर पंखे बर्तन इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था । इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 16 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था । पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई अप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था । अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा । पंचायत द्वारा उपरोक्त अप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जो की गंभीर अनियमितता है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-185 दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

8. **(क). आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹ 0.60 लाख का अधिक भुगतान करना :-**

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत, बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹ 59594.74 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (ङ)** में संलग्न है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-193 दिनांक 04.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.07 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में

विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 6385.13 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (च) में सलग्न है ।** उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-192 दिनांक 04.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य सम्बन्धी हकदारी का वित्तरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य सम्बन्धी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है । पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओं की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा । अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्विन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा । अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे । उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2021-22	108	49	59	792	317	317	9428	6	43002
2022-23	142	31	111	813	209	209	4542	3	86752

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है की ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वित्तरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमें से केवल आंशिक कार्य ही पूरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वित्त रित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्विन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं वल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-188 दिनांक 03.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्विन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जोबकार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य क्रियान्वित किये जाएँगे। तथा

भविष्य में जॉबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(घ) वितीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹01.53 लाख ज्यादा व सामान पर राशि ₹ 01.53 लाख कम व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा । अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹16.57 लाख की जगह ₹15.04 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹01.53 लाख कम व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹24.84 लाख की जगह ₹26.37 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹01.53 लाख ज्यादा किया गया । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
2021-22	22.31	16.56	13.38	5.75	8.92
2022-23	19.1	9.81	11.46	9.29	7.65
कुल आय	**41.41**	**26.37**	**24.84**	**15.04**	**16.57**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-189 दिनांक 03.04.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा । अतः वितीय वर्ष 2021-22 2022-23 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 01.53 कम व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹01.53 लाख ज्यादा व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके

अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए । अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹01.39 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹139138.39 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके सम्बन्ध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	5661/16.07.2022	15th fc	mahavir enterprises tehsil baldwara distt mandi	angle pipe & others	102435
2	5136/24.04.2022	14th fc	mahavir enterprises tehsil baldwara distt mandi	net,angles & other	33601.39
3	177/11.03.2021	general head	sanjay offset printer near govt sen sec school baldwada	stationary item	3102
					139138.39

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-191 दिनांक 04.04.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹0.13 लाख के भुगतान बिलों/वाउचर को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी हि० प्र ० की अवधि 1.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹13035 के भुगतान बिलों/वाउचर को सम्बन्धित नस्ति में संलग्न नहीं किया गया था और न ही अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

Sr. No	Name	Voucher no.	C.B Page No.	Head	Item Name	Remarks	Amount
1	Not Mention	26.07.2021	19	Own Source	Fiber Connection	Bill Not Present	3540
2	Not Mention	66/02.03.22	32	Own Source	Gram Sabha Jal Pan	Bill Not Present	8000
3	Not Mention	67/02.03.22	32	Own Source	MB Purchase	Bill Not Present	1495
							13035

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-190 दिनांक 04.04.2024 ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा के सचिव के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बिल प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा व इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । उत्तर संतोषजनक नहीं था । अतः भुगतान बिलों को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने का

औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान :-

हि0प्र0 पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अर्न्तगत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा । अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को दिए गए मानदेय भुगतान का ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में निर्वाचित सदस्यों को ₹2500 के मानदेय का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	वाउचर संख्या	मानदेय अवधि	भुगतान राशि (₹)	नियमानुसार भुगतान योग्य राशि (₹)	अंतर (₹)	विवरण
1	श्री सुनील कुमार	वाउचर संख्या 44 दिनांक 08.10.2021	मई 2021 से सितंबर 2021 तक	2500	2250	250	दिनांक 05.05.2021 में कोई भी मासिक बैठक न होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
2	श्री जोगिंदर कुमार	वाउचर संख्या 44 दिनांक 08.10.2021	मई 2021 से सितंबर 2021 तक	2500	2250	250	दिनांक 05.05.2021 में कोई भी मासिक बैठक न होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
3	श्री संतोष कुमार	वाउचर संख्या 44 दिनांक 08.10.2021	मई 2021 से सितंबर 2021 तक	2500	2250	250	दिनांक 05.05.2021 में कोई भी मासिक बैठक न होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
4	श्रीमती रीना देवी	वाउचर संख्या 44 दिनांक 08.10.2021	मई 2021 से सितंबर 2021 तक	2500	2250	250	दिनांक 05.05.2021 में कोई भी मासिक बैठक न होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
5	श्रीमती सुनीता देवी	वाउचर संख्या 44 दिनांक 08.10.2021	मई 2021 से सितंबर 2021 तक	2500	2250	250	दिनांक 05.05.2021 में कोई भी मासिक बैठक न होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
6	श्रीमती श्रेष्ठा देवी	वाउचर संख्या 44 दिनांक 08.10.2021	मई 2021 से सितंबर 2021 तक	2500	2250	250	दिनांक 05.05.2021 में कोई भी मासिक बैठक न होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. लघु आपति विवरणिकाः-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. निष्कर्षः-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
का0/प्रति
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
3186-3190 05 JUL 2024
दूरभाष नं0 –0177–2626670

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 151/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बल्द्वाड़ा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

05 JUL 2024

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
का0/प्रति
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

पैरा संख्या - 4(1)
परिशिष्ट - (क)

Financial position of OWN sources & other grants in aid of Gram Panchyat baldwara					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	2943821.55	1120938.4	4064759.95	984686	3080073.95
2022-23	3080073.95	1036407	4116480.95	1014988	3101492.95

पैरा संख्या - 4(ii)
परिशिष्ठ -(ख)

25

Financial position of 14 th FCof Gram Panchyat baldwara					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	2445860.45	41626.44	2487486.89	1186568.34	1300918.55
2022-23	1300918.55	52076	1352994.55	1083520.34	269474.21

Bank Reconicilation as on 31 03-23			
Balance as per cash book	269474.21		
less: amount of Rs 119233 transfer to a/c no. 30210100001 (own source & other) on 15.06.2021 taken in pass book but not taken in cash book	119233		150241.21
Balance as per Pass book			**110522.25**
Net Difference			**39718.96**

पैरा संख्या - 4(iii)

परिशिष्ट -(ग)

(25)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat baldwara					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	664244	1765642	2429886	0	2429886
2022-23	2429886	3124359	5554245	1226430.39	4327814.61

Bank Reconicilation as on 31 03-23			
Balance as per cash book	4327814.61		
add: income from grant of Rs 501258 received on 03.06.2021 taken in pass book but not taken in cash book	501258		
less:-income from grant of Rs 299718 received on 06.10.2021 taken in cash book but not taken in pass book	299718		
add:- interst of Rs 25236 taken in pass book on dated 30.09.2021, but not taken in cash book,interst of Rs 37752 taken in pass book on dated 01.04.22, but not taken in cash book,interst of Rs 47368 taken in pass book on dated 30.09.2022, but not taken in cash book	110356		**4639710.61**
Balance as per Pass book			**4639710.61**
Net Difference			**nill**

पेज संख्या – 6 (क)
परिशिष्ठ – (घ)

(26)

HOUSE TAX STATEMENT AS ON 31/03//2023

PERIOD	O.B	NO OF HOUSEHOLD	RATE	REQUIRED TAX	TOTALE HOUSE TAX	RECEIVED	BALANCE
2020-21	72200	1540	50	77000	149000	72200	77000
2021-22	77000	1540	50	77000	154000	0	154000

Panchayat Secretary
Gram Panchayat ...
...

प्रश्न संख्या - 8(क)

परिशिष्ठ (ङ)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीटिक टन	राशि
	15th fc								
1	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	161/21.04.22	रेत	7437.5	4.25	1.62	6.89	80	550.80
2	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	161/21.04.22	बजरी	6035	4.25	1.52	6.46	80	516.80
3	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	160/21.04.22	बजरी	7100	5.00	1.52	7.60	80	608.00
4	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	160/21.04.22	रेत	4375	2.50	1.62	4.05	80	324.00
	14th fc								
5	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	135/nill	रेत	3317.29	2.12	1.62	3.43	60	206.06
6	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	135/nill	बजरी	18843.4	14.40	1.52	21.89	60	1313.28
7	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	135/nill	रेत	7000.84	5.35	1.62	8.67	60	520.02
8	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	138/nill	बजरी	2774.16	2.12	1.52	3.22	60	193.34
9	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	139/nill	बजरी	2774.16	2.12	1.52	3.22	60	193.34
10	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0058/nill	बोल्डर	7600	8.00	2.24	17.92	60	1075.20
11	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0059/nill	बोल्डर	3800	4.00	2.24	8.96	60	537.60
12	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0061/nill	बोल्डर	1900	2.00	2.24	4.48	60	268.80
	मनरेगा								
13	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0015/18.09.20	बजरी	15166	10.99	1.52	16.70	60	1002.29
14	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0017/18.09.22	रेत	9396	5.80	1.62	9.40	80	751.68
15	**कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी**	0010/20.07.20	रेत	11896	8.62	1.62	13.96	60	837.86
16	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0011/20.07.20	बोल्डर	24000	30.00	2.24	67.20	60	4032.00
17	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0018/18.09.20	बोल्डर	6732	7.92	2.24	17.74	60	1064.45
18	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0030/03.01.21	बजरी	46506	33.70	1.52	51.22	60	3073.44
19	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0030/03.01.21	रेत	24426	17.70	1.62	28.67	60	1720.44
20	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0011/20.07.20	बजरी	9287	6.73	1.52	10.23	60	613.78
21	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0012/20.07.20	रेत	34020	21.00	1.62	34.02	60	2041.20
22	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0014/18.09.20	रेत	16008	11.60	1.62	18.79	60	1127.52
23	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0014/18.09.20	बजरी	20700	15.00	1.52	22.80	60	1368.00
24	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0013/18.09.20	रेत	7618	5.52	1.62	8.94	60	536.54
25	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0013/18.09.20	बजरी	27945	20.25	1.52	30.78	60	1846.80
26	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0031/03.01.21	बजरी	42932	31.11	1.52	47.29	60	2837.23
27	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0031/03.01.21	रेत	37412	27.11	1.62	43.92	60	2635.09
28	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0033/03.01.21	बजरी	27448	19.89	1.52	30.23	60	1813.97
29	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0033/03.01.21	रेत	6596	4.78	1.62	7.74	60	464.62
30	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	134/22.03.22	रेत	1721.23	1.10	1.62	1.78	80	142.56
31	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	134/22.03.22	बजरी	17011.41	13.00	1.52	19.76	80	1580.80

32	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	134/22.03.22	रेत	23554.26	18.00	1.62	29.16	80	2332.80
33	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	133/22.03.22	रेत	7542.14	4.82	1.62	7.81	80	624.67
34	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	133/22.03.22	बजरी	6307.3	4.82	1.52	7.33	80	586.11
35	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0060/22.03.22	बोल्डर	7600	8.00	2.24	17.92	80	1433.60
36	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0090/02.08.21	रेत	34021.78	26.00	1.62	42.12	60	2527.20
37	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0090/02.08.21	बजरी	51032.67	39.00	1.52	59.28	60	3556.80
38	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	089/01.08.2021	रेत	28787.66	22.00	1.62	35.64	60	2138.40
39	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील, बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	089/01.08.2021	बजरी	40564.43	31.00	1.52	47.12	60	2827.20
40	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	093/11.08.21	रेत	10468.24	8.00	1.62	12.96	60	777.60
41	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	093/11.08.21	बजरी	20099.02	15.36	1.52	23.35	60	1400.83
42	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	137/22.03.22	रेत	23471.4	15.00	1.62	24.30	80	1944.00
43	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	137/22.03.22	बजरी	39257.1	30.00	1.52	45.60	80	3648.00
									59594.74

पैरा संख्या - 8 (ख)

परिशिष्ट - (च)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	14th fc					
1	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0068/nill	जेसीबी वर्क	30005	1.00%	300.05
2	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	135/nill	बजरी	18843.4	1.00%	188.43
	मनरेगा					
3	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0011/20.07.20	बोल्डर	24000	1.00%	240.00
4	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0030/03.01.21	बजरी	46506	1.00%	465.06
5	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0030/03.01.21	रेत	24426	1.00%	244.26
6	अभय चौहान सरकारी ठेकेदार बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0012/20.07.20	रेत	34020	1.00%	340.20
7	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0014/18.09.20	रेत	16008	1.00%	160.08
8	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0014/18.09.20	बजरी	20700	1.00%	207.00
9	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0013/18.09.20	बजरी	27945	1.00%	279.45
10	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0031/03.01.21	बजरी	42932	1.00%	429.32
11	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0031/03.01.21	रेत	37412	1.00%	374.12
12	कमला देवी सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0033/03.01.21	बजरी	27448	1.00%	274.48
13	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	134/22.03.22	बजरी	17011.41	1.00%	170.11
14	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	134/22.03.22	रेत	23554.26	1.00%	235.54
15	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0090/02.08.21	रेत	34021.78	1.00%	340.22
16	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0090/02.08.21	बजरी	51032.67	1.00%	510.33
17	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	089/01.08.2021	रेत	28787.66	1.00%	287.88
18	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	089/01.08.2021	बजरी	40564.43	1.00%	405.64
19	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	093/11.08.21	रेत	10468.24	1.00%	104.68
20	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	093/11.08.21	बजरी	20099.02	1.00%	200.99
21	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	137/22.03.22	रेत	23471.4	1.00%	234.71
22	राजेश कुमार सरकारी ठेकेदार करनी तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	137/22.03.22	बजरी	39257.1	1.00%	392.57
						6385.13